



# **BULANDSHAHR POLICE**



**दिनांक 12 फरवरी 2024**

**"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के प्रयास के 03 आरोपियों को 03-03 वर्ष का कारावास व 06-06 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-**

अवगत कराना है कि अभियुक्त 1- जुबैर पुत्र खलील, 2- भोला उर्फ गुफरान पुत्र शरीफ, 3- जुबैर पुत्र चुन्नू निवासीगण मौ0 नई बस्ती, चौधरीबाड़ा थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष- 2017 में वादी यामीन पुत्र हनीफ निवासी मौ0 गोरखी गुलावठी रोड़ थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के साथ झगड़ा, मारपीट, बल्वा व जान से मारने की धमकी देने आदि की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 24.05.2017 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 404/2017 धारा- 147/148/149/307/323/386/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 27.07.2017 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्तगण के विरुद्ध 05 गवाह परिक्षित कराये गये। जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 12.02.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-15, बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जुबैर पुत्र खलील, भोला उर्फ गुफरान पुत्र शरीफ व जुबैर पुत्र चुन्नू को 03-03 वर्ष का कारावास व 06-06 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री प्रवेन्द्र सिंह लोधी का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

**अभियुक्त जुबैर पुत्र खलील का आपराधिक इतिहास-**

1. मुअसं- 404/17 धारा 147/148/307/386/323/504/506 भादवि थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-405/17 धारा 147/148/149/307 भादवि व 7 क्रि0लॉ0 एक्ट थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-406/17 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-565//17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

**अभियुक्त भोला उर्फ गुफरान पुत्र शरीफ का आपराधिक इतिहास-**

1. मुअसं- 404/17 धारा 147/148/307/386/323/504/506 भादवि थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-405/17 धारा 147/148/149/307 भादवि व 7 क्रि0लॉ0 एक्ट थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-460/14 धारा 307/323/506 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-565//17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं-587/13 धारा 394/411/504 भादवि थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर।

6. मुअसं-601/13 धारा 25 शस्त्र अधि० थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ।
7. मुअसं-719/22 धारा 307/323/452/504/506 थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ।
8. मुअसं-723/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ।

अभियुक्त जुबैर पुत्र चुन्नु का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 404/17 धारा 147/148/307/386/323/504/506 भादवि थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर ।
2. मुअसं-405/17 धारा 147/148/149/307 भादवि व 7 क्रि०लॉ० एक्ट थाना सिकन्द्राबाद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-565//17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर ।



मीडिया सेल बुलन्दशहर